रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SME.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 फरवरी, 2000/18 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2000

संख्या पी0बी0एच0-एच0बी0(2) 1/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 15-7-1996 द्वारा अधिसूचित पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश में जिला अंकेक्षण अधिकारी (अराजपत्रित वर्ग-III) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश में जिला अंकेक्षण अधिकारी (अराजपत्रित वर्ग-III) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन. –पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश जिला अकक्षण अधिकारी (अराजपत्रित वर्ग-III) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996, अनुबन्ध "अ" में —

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

13 (तेरह) पद

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"रुपये 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

पचास प्रतिशत पंचायत निरीक्षकों, पचास प्रतिशत लेखा परीक्षकों में से जिनका अपने-अपने ग्रेड में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1998) तक की गई तदर्थ सेवा सहित उक्त संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित 20 प्वाइन्ट रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात:—

पंचायत निरीक्षक : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

लेखा परीक्षक : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्लोकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है को कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल

(रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,

राजवन्त संधू,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HB*(2) 1/83, *dated* 6-1-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2000

No. PCH-HB(2)-1/83.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, District Audit Officer (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified *vide* this Department notification of even No. dated 15-7-1996, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Panchayati Raj Department, District Audit Officer (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 1999.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, District Audit Officer (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996:—

(*a*) For the existing provisions against Col. No. 2, the following shall be substituted, namely:—

"13 (Thirteen) posts."

(*b*) For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640."

(*c*) For the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the following having 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-98) service in their respective grades.

Panchayat Inspector	50%
Auditors	50%

For the purpose of promotion of the following 20 point roster shall be followed:—

Panchayat Inspector:	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Auditors :	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules, provided that :

(*i*) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation. —The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/promotion shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

By order,
RAJWANT SANDHU,
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित